भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3011
(दिनांक 06.12.2019 को उत्तर देने के लिए)

नई विषय-वस्तु अधिग्रहण नीति

3011. डॉ॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नई विषय-वस्तु अधिग्रहण नीति पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) अप्रचलित और प्रतिबंधात्मक प्रकृति की पुरानी नीतियों को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग): प्रसार भारती समय-समय पर दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सामग्री अधिग्रहण संबंधी नीतियों की समीक्षा करता है। हाल में इसने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में हाल के रुझानों को ध्यान में रखते हुए तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित प्रणालियों का प्रयोग करके निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गैर-फिल्मी और फिल्म सामग्री, दोनों का अधिग्रहण करने संबंधी नीतियों में संशोधनों का अनुमोदन किया है।

*****